सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. RKT/13/2017/STGCG/SEOTH/RU-III

छठा तल बी विंग लोकनायक भवन
खान मार्कट नई दिल्ली.110003
दिनांक **11.04.2018**

सेवा में,

प्रबंधक निदेशक,
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,
11 हेंमत बसु सरणी,
कोलकाता–700 001

विषयः युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया– देवपुरी ब्रांच द्वारा प्रताड़ित करने बाबत्– श्री राधेलाल कोर्रम ठाकुर, क्वा. नं. डी– 36, रोहणीपुरम, रायपुर (छत्तीसगढ़) का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सुश्री अनुसूईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के तत्वाधान में हुई बैठक दिनांक 23.02.2018 की कार्यवाही रिपोर्ट का प्रतिवेदन की मूल प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर आपको भेजी जा रही हैं।

अनुरोध है कि प्रकरण मे अनुपालन प्रतिवेदन आयोग को एक माह के भीतर भिजवाने का कष्ट करे !

भवदीय

(आर. के. दुबे)
सहायक निर्देशक
दूरभाष–24615012

प्रतिलिपिः

श्री राधेलाल कोर्रम ठाकुर,
क्वा. नं. डी– 36, रोहणीपुरम,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

SAS, NIC

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

<u>File No. RKT/13/2017/STGCG/SEOTH/RU-III</u>

विषयः यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया देवपुरी ब्रांच द्वारा प्रताड़ित करने बाबत श्री राधे लाल कोर्राम ठाकुर का अभ्यावेदन।

बैठक की तिथि : 23.02.2018

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'

श्री राधे लाल कोर्राम रायपुर (छत्तीसगढ) से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 20–04–2017 में उन्होंने आयोग को अवगत कराया कि उन्होंने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से 41 लाख रूपये का हाउसिंग लोन लिया था जिसकी किस्तें वह समय समय पर बैंक में जमा करवा रहे थे परंतु कुछ समय से बच्चों की उच्च शिक्षा के कारण वह लोन की किस्त नहीं दे पाए जिससे बैंक द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और पूरा लोन एक साथ जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है।

2. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय ने 23.02.2018 को महाप्रबंधक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ बैठक में चर्चा हेतु बुलाया। किंतु वे उपस्थित नहीं हुए प्रार्थी श्री राधे लाल कोर्राम ठाकुर को भी बैठक में बुलाया गया था पर वह भी उपस्थित नहीं हुए। बैठक की अध्यक्षता माननीय उपाध्यक्ष महोदया द्वारा की गई जिसमें ब्रांच मैनेजर, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देवपुरी ब्रांच उपस्थित हुए।

3. देवपुरी ब्रांच के प्रबंधक ने आयोग को बताया कि श्री राधे लाल कोर्राम ठाकुर ने वर्ष 2011 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से मकान निर्माण हेतु रुपए 31 लाख का लोन लिया था जिस को वर्ष 2014 में लोन ट्रांसफर करा कर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से अतिरिक्त रू.10 लाख लोन लिया जो कि कुल रू.41 लाख हो गया। लोन की किस्त समय पर नहीं देने के कारण वर्ष 2015 में उनका एन.पी.ए.घोषित कर दिया गया।

4. बैंक प्रबंधक ने यह भी बताया कि श्री राधे लाल कोर्राम के खाते में लोन की किस्त जमा करवाने के बाद लगभग 11लाख रूपये ओवर ड्यू है जो वह बैंक में जमा नहीं करा रहे हैं जिसके कारण संपत्ति पर बैंक ने अधिपत्य ले लिया है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss A... ...uiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairp... ...n
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

5. आयोग ने बैंक से यह जानना चाहा कि क्या श्री राधे लाल कोर्राम का यह कहना सही है कि उन्होंने ने लोन की किस्त चुकाने के लिए अतिरिक्त समय मांगा जो बैंक ने उसे नहीं दिया और उनके ऊपर लोन बढ़ता चला गया। आयोग ने आगे बैंक से यह भी जानना चाहा कि क्या बैंक उसके ओवर डयू लोन की किस्तें बनाकर लोन जमा कराने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है?

6. बैंक प्रबंधक ने आयोग को यह बताया कि अगर श्री राधे लाल कोर्राम ठाकुर ओवरडयू लोन 11लाख रूपये तथा ई.एम.आई 5 लाख रूपये कुल 16 लाख रूपये 12 किस्तों में एक वर्ष के भीतर बैंक में जमा करवाते है तो उनका बाकी का लोन सक्षम प्राधिकारी द्वारा फिर से नियमित खाते मे बदला जा सकता है।

7. माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने इस मामले में श्री राधे लाल कोर्राम ठाकुर से चर्चा की जिसमें यह तय हुआ कि वे बकाया 16 लाख रूपये को 12 किस्तों में एक वर्ष के भीतर बैंक में जमा करवा देगें तथा किश्त भरने की शुरूआत 2 माह के भीतर आरंभ कर देंगा । यदि वे ऐसा करते है तो बैंक बाकी का लोन नए सिरे से भरने के लिए किस्तें तय करेगा और मकान की चाबी उन्हें सौंप देगा। यदि उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता तो बैंक नियमानुसार आगे की कार्रवाई हेतु स्वतंत्र होगा।

सुश्री अनुसुईया उईके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट 'क'

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया देवपुरी ब्रांच द्वारा प्रताड़ित करने बाबत श्री राधे लाल कोर्राम ठाकुर का अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसूईया उईके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 23.02.2018 को आयोग में आयोजित बैठक में उपस्थिति अधिकारियों की सूचीः–

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसूईया उईके, उपाध्यक्ष
2. श्री आर. के. दुबे, सहायक निदेशक
3. श्री डी. सी. कटोच, परामर्शक

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

1. श्री प्रताप रूद्रा प्रधान, प्रबंधक यू.वी.आई., देवपुरी ब्रांच